संख्या-70/2019/1309/सैंतीस-2-2019-1(7)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-14 मई, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-01/35-21/वे.का./2019-20, दिनांक-03.04.2019 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-54/2019/959/सैंतीस-2-2019-1(7)/2017, दिनांक-24.04.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधानित धनराशि रू0-2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे.आ.-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक-22.12.2017 में अंकित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.)-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-70/2019/1309(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in